


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 1973/फाल्गुन 22, 1894

No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 1973/PHALGUNA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 13th March 1973

G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clause (g) of sub-section (2) thereof shall, in relation to foodstuffs be exercisable also by a State Government:

Provided that before making an order providing for the matters specified in the aforesaid clause, a State Government shall obtain the prior concurrence of the Central Government.

[No. 3(Cen1)(2)/92/73-PY. II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

हृदि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973

सा० का० नि० 168 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खंड (छ) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु आदेश करने की, उसे प्रदत्त शक्तियों, खाद्य पदार्थ के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी :

परन्तु यह कि उपर्युक्त खंड में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए उपबन्ध करण हेतु आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त कर लेगी ।

[सं० 3 (जनरल) (2)/92/73-पी० वाई-II]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।